न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 187/2023

अनवान : –

1. जगदेव सिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी किरपाली छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– वादी

बनाम

1. ओमवीर पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. कृष्णा देवी पत्नी मेवासिंह जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3. प्रताप सिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. मंगलाराम पुत्र पुरण जाति जाट साकिन झोथड़ तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. रमेश पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
6. राजपाल पुत्र नन्दराम जाति जाट हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
7. विकास कुमार पुत्र मेवासिंह जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
8. सजीत कुमार पुत्र मेवा सिंह जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. सतपाल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 06/06/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 444/447 की कुल 12.7639 हैक्ट भूमि जिसके वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार होने के कारण सींव लगान काश्त आदि का झगड़ा रहता है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को समन नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 444/447 की कुल 12.7639 हैक्ट भूमि जिसके वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 444/447 की कुल 12.7639 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. वादी जगदेव सिंह पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन किरपाली छोटी तहसील राजगढ़ खातेदार
   ख0न0 19/1 की 0.260 हैक्ट, 258/1 की 6.084 हैक्ट हैक्ट कुल 6.344 हैक्ट बारानी प्रथम
2. प्रतिवादीया संख्या 2 का 3021/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 3022/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 3021/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 9063/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 9063/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 9063/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 18124/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 9063/64199 हिस्सा जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ खातेदार, प्रतिवादी संख्या 4 का 759/64199 हिस्सा जाति जाट साकिन झोथड़ तहसील तारानगर

ख0न0 19/2 की कुल 0.284 हैक्ट, 258/2 की 6.1359 हैक्ट कुल 6.4199 हैक्ट भूमि बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:29 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 187/2023

अनवान : –

1. जगदेव सिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी किरपाली छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– वादी

बनाम

1. ओमवीर पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. कृष्णा देवी पत्नी मेवासिंह जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3. प्रताप सिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. मंगलाराम पुत्र पुरण जाति जाट साकिन झोथड़ तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. रमेश पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
6. राजपाल पुत्र नन्दराम जाति जाट हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
7. विकास कुमार पुत्र मेवासिंह जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
8. सजीत कुमार पुत्र मेवा सिंह जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. सतपाल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 187 सन 2023 निर्णय दिनांक –06/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 444/447 की कुल 12.7639 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. वादी जगदेव सिंह पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन किरपाली छोटी तहसील राजगढ़ खातेदार

ख0न0 19/1 की 0.260 हैक्ट, 258/1 की 6.084 हैक्ट हैक्ट कुल 6.344 हैक्ट

बारानी प्रथम

2. प्रतिवादीया संख्या 2 का 3021/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 3022/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 3021/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 9063/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 9063/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 9063/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 18124/64199 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 9063/64199 हिस्सा जाति जाट साकिन हीराबास तहसील राजगढ़ खातेदार, प्रतिवादी संख्या 4 का 759/64199 हिस्सा जाति जाट साकिन झोथड़ तहसील तारानगर

ख0न0 19/2 की कुल 0.284 हैक्ट, 258/2 की 6.1359 हैक्ट कुल 6.4199 हैक्ट भूमि बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना [illegible]

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 06/06/24 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:29 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर